राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/156

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
11-128	89/24	5/4/2024	14/5/24	18/4/24

अनवान

श्री मूलचंद S/o जगन्नाथ जाति रेगर श्री जीतमल S/o गुलाब जाति धाकड़

निवासी जावदा निवासी जावदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफूल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

मूलचंद बनाम प्रीतमल

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 89/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। ... वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/5/24 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 14/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
14/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय/आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 89/24 तारीख 5/4/24

01. मुलचंद पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयरक पेशा कृषि निवारी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयरक पेशा कृषि निवारी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयरक पेशा कृषि निवारी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. जीतमल पुत्र गुलाब जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. राजु पुत्र कुका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. होक्मा पुत्र नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. पन्ना पुत्र केसू जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 14/5/24

प्रार्थना पत्र हम **मुलचंद, राधेश्याम, रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 746/145 रकबा 0.2023 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 205 पर अंकित आराजी संख्या 550 रकबा 1.7321 हैक्टेयर सामलाती भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 746/145 रकबा 0.2023 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 205 पर अंकित आराजी संख्या 550 रकबा 1.7321 हैक्टेयर सामलाती भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 89/24 तारीख 5/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....89........./ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. मुलचंद पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. जीतमल पुत्र गुलाब जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. राजु पुत्र कुका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. होक्मा पुत्र नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. पन्ना पुत्र केसू जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी संख्या 746/145 रकबा 0.2023 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 205 पर अंकित आराजी संख्या 550 रकबा 1.7321 हैक्टेयर सामलाती भूमि** की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी